न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0 156/2017

स्वरूपसिंह पुत्र सांगसिंह
बनाम
खेतसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैरा

दिनांक 27.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 2286/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.5.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थी–खेतसिंह, रेवन्तसिंह ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर स्थित ग्राम सरणू भीमजी के ख0नं0 418/290, ख0नं0 420/290, ख0नं0 421/290 की कुल रकबा भूमि 242.10 बीघा किस्म गै0मु0 ओरण भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 16–स्वरूपसिंह ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की भूमि ग्राम सरणू भीमजी के ख0नं0 289 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नं0 290 के चिपते स्थित है। खसरा नं0 290 की भूमि के किनारे से सड़क निकल जाने के कारण इसका कुछ भाग सड़क से दूसरी तरफ चला गया व इस भाग पर रेस्पो0–प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है। जिसकी पूर्ति करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, ताकि इसकी आड़ में अपीलार्थी के ख0नं0 289 को ख0नं0 290 का भाग बताया जा सके। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया व तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में पक्षकारों को बिना सुने, पत्रावली केम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। रेस्पो0–प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नही था, क्योंकि स्वयं ग्राम पंचायत ने यह लिखकर दे दिया था, कि पूर्व में पत्थरगढी हो चुकी है व अब पत्थरगढी की आवश्यकता नही है। इसके अलावा पैमाईश रिपोर्ट के बिना पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं है। अतः अपील स्वीकार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 16 को सुनवाई दिनांक 20.1.17 का नोटिस उसके पुत्र से तामिलशुदा मौजूद है। अपीलांट–विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण

को मजमे आम में सुना गया। जिसमें रेस्पो0–प्रार्थी एवं ग्रामीण जनता सरणू भीमजी, सरपंच ग्रा0पं0 सरणू चिमनजी और सरपंच ग्रा0पं0 सरणू पनजी ने दिनांक 12.5.17 को नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित सहमति/अनापत्ति व्यक्त की गई। अपीलाधीन खसरान की भूमि ग्राम पंचायत सरणू की गैर मुमकिन ओरण भूमि है तथा इसके पास में विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत स्थित है। विप्रार्थीगण व अन्य भूमाफिया गिरोह के व्यक्ति इस गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर बेचान करने से बचाव हेतु प्रार्थी एवं उपस्थित अन्य ग्रामीण जनहित में इसकी नेखमबंदी करवाना चाहते है। जिस पर बाद सुनवाई व रेकर्ड अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई मजमें आम में की गई। जिसमें रेस्पो0–प्रार्थी एवं ग्रामीण जनता तथा सरपंच ग्रा0पं0 सरणू पनजी द्वारा नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित सहमति /अनापत्ति व्यक्त की गई तथा बाद सुनवाई एवं रेकर्ड अवलोकन अपीलाधीन आदेश द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमेटी का गठन कर, ओरण भूमि की नेखमबंदी मजमेआम में करने हेतु निर्देशित किया है। जो राज्यहित में विधिसम्मत होने से इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2286/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

27.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर